न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ (चूरू)

बइजलास - पंकज गढ़वाल R.A.S.

वाद संख्या - 154/2019

निर्णय दिनांक - 24.8.20

कुलदीप पुत्र रामप्रताप जाति ब्राह्मण निवासी जनाऊ मिठी तहसील राजगढ़ जिला चूरू

—वादी

बनाम

1. रामप्रताप पुत्र मोहनराम जाति ब्राह्मण निवासी जनाऊमिठी तहसील राजगढ़ जिला चूरू
2. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा हमीरवास छोटा
3. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजगढ़ जिला चूरू

—प्रतिवादीगण

1. सरोज
2. सजना
3. खुशीराम
4. गजानन्द
5. त्रिलोकचन्द

} पुत्र-पुत्रियाँ रामप्रताप जाति ब्राह्मण निवासी जनाऊमिठी तहसील राजगढ़ जिला चूरू

— गौण प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणात्मक अन्तर्गत धारा 88 R.T.Act.

उपस्थित :- 1. श्री दिलीपसिंह अधिवक्ता वास्ते वादी
2. " महबूब आलम पठान अधिवक्ता वास्ते प्रतिवादी सं. 1
3. " राजेन्द्र सिंह गोठवाल अधिवक्ता वास्ते गौण प्रतिवादी सं. 1 ता 5

निर्णय

वाद पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि वादी ने यह वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम इस आशय का पेश किया कि कृषि भूमि खतौनी संख्या 153 खसरा नम्बर 174 तादादी 2.53 हैक्टर ख० न० 177 तादादी 3.28 हैक्टर कुल तादादी 5.81 हैक्टर वाके रोही मौजा जनाऊ मिठी

—2

अधिकारी

तहसील राजगढ़ जिला चूरू में स्थित है। यही विवादित कृषि भूमि है। वास्ते मुलाहिजा जमाबन्दी पेश है। वादी और प्रतिवादी सं. 1 एवं गौण प्रतिवादी सं. 1 ता 5 हिन्दू धर्म को मानने वाले हैं और मिताक्षरा विधि से शासित होते हैं। बादगत उक्त भूमि वादी की पुश्तैनी मोरूसी जायदाद होने के कारण उक्त विवादित कृषि भूमि में वादी का जन्म से हक हिस्सा है जिस पर वादी काबिज है एवं उपयोग उपभोग करता आ रहा है जिस कारण उपरोक्त कृषि भूमि की कुल तादादी 5.81 हे० में से वादी अपने 1/7 हिस्से को राजस्व रिकार्ड में घोषित करवाने का अधिकारी है। वादी प्रतिवादी सं. 1 का विधिक पुत्र है और उक्त कृषि भूमि वादी और प्रतिवादी सं. 1 एवं गौण प्रतिवादी सं. 1 ता 5 की दादालाई कृषि भूमि है जिस पर वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 एवं गौण प्रतिवादी सं. 1 ता 5 ने आपस में मौका खण्ड बाबत का अलग-अलग कब्जा काश्त कर रहे हैं परन्तु राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज नहीं है। वादी प्रतिवादी सं. 1 का जायज वारिस होने के नाते कानूनन विवादित कृषि भूमि में से 1/7 हिस्से का काश्तकार है मगर आज तक राजस्व रिकार्ड में खातेदारी का अंकन नहीं होने से वादी को काफी हक तल्फी होती है इसलिए वादी प्रतिवादी सं. 1 का जायज वारिस होने के आधार पर अपने 1/7 हिस्से की घोषणा करवाने का अधिकारी है। इस कारण वादी ने यह वाद धारा 88 आर.टी. एक्ट का पेश किया है। वादी ने प्रतिवादी सं. 1 को काफी बार कहा व कहलवाया कि वे विवादित कृषि भूमि में वादी को 1/7 हिस्सा की कृषि भूमि की खातेदारी काश्तकारी स्वीकार कर उसके 1/7 हिस्सा को अलग से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे मगर प्रतिवादी सं. 1 ने ऐसा मानने से दिनांक 25.6.2019 को बमुकाम जनाऊ मिट्टी में स्पष्ट इन्कार कर दिया जिस कारण वादी को वादकारण व वादाधार हासिल है। आदि-आदि पेश कर विवादित कृषि भूमि में अपने 1/7 हिस्सा को अलग से राजस्व रिकार्ड में घोषित किये जाने का अनुतोष चाहा गया।

वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 जरिए अधिवक्ता उपस्थित आये व जवाबदावा पेश कर विवादित कृषि भूमि में वादी के 1/7 हिस्से की कृषि भूमि खातेदारी काश्तकारी स्वीकार कर उसके 1/7 हिस्सा को राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने की सहमति दी गई। गौण प्रतिवादी सं. 1 ता 5 ने भी अपनी सहमति दी गई। प्रतिवादी सं. 2 बावजूद तामील अनुपस्थित रहने पर प्रतिवादी सं. 2 के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी सं. 3 जरिए पैरोकार राज उपस्थित आये। राजीनामा होने की कोई संभावना नहीं है।

बहस उभय पक्ष सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादपत्र के अभिवचनों के अनुसार विवादित कृषि भूमि वादी व प्रतिवादी सं. 1 व गौण प्रतिवादी सं. 1 ता 5 के परिवार की पुश्तैनी कृषि भूमि है जो पूर्व में वादी के दादा मोहनराम के खातेदारी की रही है तथा विरासतन नामान्तरकरण के द्वारा प्रतिवादी सं. 1 के

खातेदारी में दर्ज हुई है जिस तथ्य की पुष्टि प्रतिवादी सं. 1 व गौणप्रतिवादी सं. 1 ता 5 द्वारा प्रस्तुत जवाबदावा से होती है तथा वाद पत्र में चाहे गये अनुतोष के अनुसार बैंक हित सुरक्षित रखने से बैंक हित प्रभावित नही होते है। ऐसी सूरत में वाद वादी प्रस्तुत रिकार्ड व जवाबदावा से पुष्ट व प्रमाणित होता है जिसकारण स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

उपरोक्त विवेचन के अनुसार वाद वादी स्वीकार कर डिक्री किया जाता है तथा घोषित किया जाता है कि विवादित कृषि भूमि ख०नं० 174 तादादी 2.53 है० ख०नं० 177 तादादी 3.28 है० कुल तादादी 5.81 है० वाके रोही मौजा जनाऊ मीठी तहसील राजगढ़ जिला चूरू में प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज खातेदारी में वादी व गौणप्रतिवादी सं. 1 ता 5 व प्रतिवादी सं. 1 प्रत्येक 1/7 - 1/7 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है तथा विवादित उक्त कृषि भूमि संबन्धित बैंक के रहन यथावत रहेगी। खर्चा वाद पक्षकारान अपना - अपना वहन करेंगे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 24.8.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
राजगढ़ (चूरू)